

**कार्यालय सहायक अभियन्ता तृतीय
ड्रेनेज खण्ड, एटा।**

पत्रांक: 140/स0अ0तृ0/ई-टेण्डर/2017-18,

दिनांक 18.12.2017

ई-टेण्डर प्रणाली के अर्न्तगत कुटेशन नोटिस सं0 -01/स0अ0तृ0/2017-18

सोडिक तृतीय परियोजना के षष्ठम सुधार वर्ष में चयनित ड्रेन के पुनरोद्धार कार्य एवं उ0प्र0भूमि सुधार निगम के विभागीय राजकीय कार्यों के सम्पादन हेतु मय चालक बन्द बोडी बुलैरो,स्कार्पिओ, टी0यू0वी0, टाटासूमो गोल्ड, इन्डिगो, इन्डिका इत्यादि टाइप की एक टैक्सी परमिट वाहन को किराये पर अनुबन्ध करने हेतु ई-टेण्डर प्रणाली के अर्न्तगत कुटेशन की सूचना www.etender.up.nic.in पोर्टल पर आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 28.12.2017 को 5 वजे अपराहन से दिनांक 03.01.2018 को 5 वजे अपराहन तक उक्त वेबसाइट पर देखा एवं डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है। अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की हार्ड कॉपी इस कार्यालय में दिनांक 04.01.2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायें। टैक्नीकल बिड समिति के समक्ष दिनांक 05.01.2018 को अपराहन 12.30 वजे आमंत्रित कुटेशन खोले जायेंगे। न्यूनतम ई-निविदादाता की कुटेशन स्वीकार की जायेगी। आवश्यक शर्तें निम्नानुसार होंगी।

क्र0सं0	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि रु0 में	निविदा का मूल्य समस्त कर सहित रु0 में	अवधि
1	Jeep hire charges excluding cost of P.O.L. with including maintenance	2000.00	573.00	चार माह

- 1- ई- कुटेशन पंजीकृत फर्मों / पंजीकृत वाहन स्वामी द्वारा उपलब्ध करायी जा सकेगी।
- 2- ई- कुटेशन के साथ रु0 100.00 का नॉन जूडिशियरी स्टॉम्प पेपर रु0 1.00 का रेवेन्यू स्टाम्प हस्ताक्षर युक्त अवश्य लगाना होगा। धरोहर धनराशि रु0 2000.00 मात्र (एन0एस0सी0,एफ0डी0आर0) के रूप में एवं निविदा मूल्य डिमांड ड्राफ्ट जो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड,एटा के नाम बंधक होगी, अनिवार्य रूप से लगाना होगा तथा समस्त आवश्यक प्रपत्र ऑन लाइन स्केन कर एवं ई-कुटेशन के साथ अपलोड करनी होंगी।
- 3- वाहन के ईंधन / मोबीऑयल / रखरखाव के समस्त खर्चे एवं चालक का वेतन आदि वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जायेगा। सशर्त ई- कुटेशन मान्य नहीं होगी।
- 4- भुगतान की कार्यवाही सरकारी नियमानुसार वाहन के प्रत्येक पूरे माह चलने के बाद की जायेगी।
- 5- गाडी तथा चालक को चौबीस घंटे ड्रेनेज खण्ड एटा मन्दाकिनी पुरम आवासीय कालोनी कासगंज रोड एटा में उपलब्ध रहना होगा।
- 6- गाडी की दुर्घटना एवं गाडी में टूट-फूट आदि में इस खण्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 7- गाडी के सभी मूल कागज जैसे वाहन रजिस्ट्रेशन, बीमा, टैक्सी परमिट आदि आवश्यक प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियाँ देनी होंगी।
- 8- सभी टैक्स इत्यादि नियमानुसार वीजक से काटे जायेंगे।
- 9- प्रत्येक 10 कि0मी0 चलने पर एक लीटर डीजल का भुगतान किया जायेगा।
- 10-यह दरें चार माह तक मान्य रहेंगी।
- 11-यदि शर्तों का उल्लंघन किया गया तो यह आदेश बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिये जायेंगे।
- 12-गाडी किसी कारणवश उपलब्ध न होने की दशा में मय ड्राइवर के टैक्सी गाडी परमिट वैकल्पिक आधार पर उपलब्ध करानी होगी।

(यशवीर सिंह)

सहायक अभियन्ता तृतीय
ड्रेनेज खण्ड, एटा